# क्या आप जानते हैं कि आपको गोपनीयता के अधिकार प्राप्त हैं?

**जो संस्थाएं आपकी पहचान बताने वाली कोई भी जानकारी इकट्ठा करती हैं, उन्हें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यह कानून है। आपकी ईमेल, पता, नाम, फ़ोन नंबर, रिकॉर्डिंग या फ़ोटो सभी सुरक्षित हैं।**

प्राइवेसी एक्ट (गोपनीयता अधिनियम) 2020 वह कानून है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है। उस कानून को लागू करना ऑफिस ऑफ़ प्राइवेसी कमिश्नर (यानी हमारा) का काम है।

## आप हमेशा अपनी जानकारी की मांग कर सकते हैं।

प्राइवेसी एक्ट आपको संस्थाओं के पास मौजूद आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगने का अधिकार देता है। आप न्यूज़ीलैंड में किसी भी संस्था, बिजनेस (व्यापार) या सरकारी एजेंसी से इसकी मांग कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी गलत है तो आप उनसे उसे ठीक करने के लिए भी कह सकते हैं।

जब आप इसकी मांग करते हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए और यह भी बताना सहायक होता है कि आप किस समय अवधि के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

आप अपनी जानकारी की मांग ईमेल से, पत्र या चिट्ठी से, फ़ोन से या स्वयं जाकर कर सकते हैं। आपको 20 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर मिल जाना चाहिए।

ज्यादातर आपको अपनी जानकारी मुफ्त में मिलनी चाहिए।

हमारी वेबसाइट पर 'AboutMe' नाम का एक ऑनलाइन फ़ॉर्म है जो आपको व्यापार और संस्थाओं से संपर्क करने में मदद कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म का उपयोग करें।

'AboutMe' www.tinyurl.com/RequestYourInfo में आपसे आपका नाम और संपर्क ब्यौरा पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी संस्थाओं के ईमेल पते हों जिनसे आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों। इसमें आपसे यह भी पूछा जाता है कि आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं। हमें आपकी रिक्वेस्ट (अनुरोध) की प्रतिलिपि नहीं मिलेगी, इसलिए आपको यह ब्यौरा अपने पास रखना होगा।

## मेरी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई!

सबसे पहले आपको उस संस्था से संपर्क करना होगा जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने आपकी प्राइवेसी (व्यक्तिगत जानकारी) का उल्लंघन किया है और समस्या को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें।

यदि संस्था से संपर्क करने से काम नहीं बनता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है हम आपकी सहायता कर सकें।

## प्राइवेसी कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करें।

न्यूज़ीलैंड में हर किसी को, चाहे उनकी उम्र या परिस्थिति कुछ भी हो, प्राइवेसी के अधिकार प्राप्त हैं। प्राइवेसी की शिकायत करना मुफ्त है।

आप हमारी वेबसाइट www.privacy.org.nz पर या 0800 803 909 नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्या आप बहरे हैं, कम सुनते हैं, बहरे-अंधे हैं, बोलने में दिक्कत है, या आपको बात करने में मुश्किल होती है? New Zealand Relay Service (न्यूज़ीलैंड रिले सर्विस) www.nzrelay.co.nz पर आपकी मदद कर सकते हैं।

## प्राइवेसी की शिकायत करना मुफ्त है।

**0800 803 909**
**privacy.org.nz**



Privacy Commissioner
Te Mana Mātāpono Matatapu

# Did you know you have privacy rights?

**Organisations who store any information that can identify you must protect it. It's the law. Your email, address, name, phone number, recordings, or photos of you are all protected.**

The Privacy Act 2020 is the law that protects your personal information. It's the job of the Office of the Privacy Commissioner (that's us) to enforce that law.

## You can always ask for your own information.

The Privacy Act gives you the right to ask for personal information that organisations hold about you. You can ask any organisation, business, or government agency in New Zealand. You can also ask them to correct your information if it's wrong.

When you ask, you should be clear and it also helps to tell them the time period you're asking about.

You can ask for your information by email, letter, phone, or in person. You should hear back within 20 working days.

Most times you should get your information for free.

Our website has an online form called 'AboutMe' that might help you contact businesses and organisations. You don't have to use this form.

'AboutMe' www.tinyurl.com/RequestYourInfo will ask for your name and contact details. It has email addresses for some of the organisations that you might be trying to contact. It also asks you to write out what information you want to know. We will not get a copy of your request, so you need to keep the details.

## My personal information got leaked!

First you need to contact the organisation who you think breached your privacy and try to fix the problem yourself.

If contacting the organisation doesn't work, then you can contact us. We may be able to help.

## Make a complaint to the Privacy Commissioner.

Everyone in New Zealand, regardless of their age or situation, has privacy rights. It's free to make a privacy complaint.

You can complain through our website www.privacy.org.nz or by calling 0800 803 909.

Are you deaf, hard of hearing, deafblind, have a speech impairment, or find it hard to talk? The New Zealand Relay Service at www.nzrelay.co.nz can help you.

## It's free to make a privacy complaint.

**0800 803 909**
**privacy.org.nz**